# वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली 110 001 Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001



सा॰/No.: 5-1(108)/2011-PD

Dated\_\_\_\_04.03.2022

प्रेषक / From: संयुक्त सचिव (प्रशासन)

Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To:

सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/म्ख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान

The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

### महोदया/Madam / महोदय/Sir,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

क्रम सं.	कार्यालय ज्ञापन सं/ .	विषय/
SI. No.	Office Memorandum No.	Subject
1.	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 16.02.2022 का कार्यालय ज्ञापन सं॰	· ·
	19024/03/2021-ई.IV  Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure Office Memorandum No. 19024/03/2021-E.IV dated 16.02.2022	Modification of instructions regarding Air Travel on Government account.

भवदीय/Yours faithfully,

(उपेन्द्र उपाध्याय/ Upendra Upadhyay)

अनु.अधि.(नीति प्रभाग)/ Section Officer (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/ Head, IT Division - with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.

2) कार्यालय प्रति/Office copy.

Phones: EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303 Fax: 91-11-23714788 Website: http://www.csir.res.in सं.19024/03/2021-ई.IV भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग

> नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक: 16 फरवरी, 2022

## कार्यालय ज्ञापन

# विषय: सरकारी खाते पर हवाई यात्रा के संबंध में निर्देशों में आशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को एअर इंडिया के विनिवेश के बाद तीन अधिकृत एजेन्सियों अर्थात् बॉमर एवं लॉरी, आईआरसीटीसी और अशोक ट्रेवल्स के द्वारा सरकारी खाते पर हवाई टिकटों की बुकिंग के संबंध में इस विभाग के दिनांक 31.12.2021 के का.ज्ञा. का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है। एअर इंडिया के विनिवेश को ध्यान में रखते हुए इस विभाग में निजी एअर लाइनों द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए हवाई टिकटों की बुकिंग के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

- 2. यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी खाते पर हवाई यात्रा घरेलू (एलटीसी सहित) और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दोनों निजी एअर लाइनों द्वारा की जा सकती है। टिकटों का क्रय केवल उपर्युक्त तीनों अधिकृत एजेंटो के माध्यम से ही किया जाएगा।
- 3. इसे वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(निर्मला देव) निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि:- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि के कार्यालय (मानक पृष्ठाकंन सूची के अनुसार)। No. 19024/03/2021-E.IV Government of India Ministry of Finance Department of Expenditure

\*\*\*

North Block, New Delhi. Dated the 16th February, 2022

#### OFFICE MEMORANDUM

Subject: Modification of instructions regarding Air Travel on Government account.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. dated 31.12.2021 regarding booking of air tickets on Government account after disinvestment of Air India through three authorized agencies viz. Balmer & Lawrie, IRCTC and Ashok Travels. Several references have been received in this Department seeking clarification regarding booking of air tickets for Domestic and International travel by private airlines in view of the disinvestment of Air India.

- 2. It is clarified that the air travel on Government account both Domestic (including LTC) and International travel can be made by private airlines. Tickets shall be purchased only through the above three authorized agents.
- 3. This is issued with the approval of the Finance Secretary & Secretary (Expenditure).

(Nirmala Dev)
Director

To,

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard distribution list.

Copy: O/o C&AG, UPSC etc. as per standard endorsement list.